I/23070/2020

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 2307०/२०/16–1099/1124/2019
लखनऊ दिनांक: 07/07/2020
कार्यालय–आदेश

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम–2006 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली–2008 की धारा–3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या–2463/2008–सोलह–1–5–(डब्लू–48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रदेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली–2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समिति द्वारा वर्ष 2017–18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असंतुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुए वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत लाक डाउन के कारण उत्पन्न आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित एवं छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्तमान में विचाराधीन संस्थानों के पाठ्यक्रमों हेतु जिनका शुल्क का निर्धारण वर्ष 2017–18 में सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 (तीन वर्ष) के लिए किया गया, उन संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2020–21 (एक वर्ष) हेतु समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

(एस0 राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग।
4. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
5. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत करायें।
6. गार्ड फाइल